भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 975

जिसका उत्तर दिनांक 08.02.2023 को दिया जाना है

अवे-फ्रॉम–रिएक्टर फेसिलिटी

975. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुडनकुलम में प्रयुक्त परमाणु ईंधन के लिए सरकार अवे-फ्रॉम–रिएक्टर (एआरएफ) इकाई का निर्माण कब तक करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या उक्त इकाई को मूल रूप से अप्रैल, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो इस इकाई के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पूर्व में मामूली जोखिमों के कारण रिएक्टर को बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो इन घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एआरएफ की अनुपस्थिति में आस-पास के वातावरण पर प्रयुक्त परमाणु ईंधन के संभावित नकारात्मक प्रभाव को समझने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) कुडनकुलम में स्थित प्रत्येक तीन द्वि-यूनिटों में भुक्तशेष ईंधन को पुनर्संसाधन के लिए भेजे जाने तक, इसके भंडारण हेतु 'रिएक्टर से दूर' (एएफआर) सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना (केकेएनपीपी) - 3 व 4 में एएफआर सुविधा के वर्ष 2026 तक प्रचालनरत होने का अनुमान है।

(ख) केकेएनपीपी - 1 व 2 में एएफआर सुविधा अप्रैल 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ग) केकेएनपीपी - 1 व 2 में एएफआर सुविधा के निर्माण में विलंब, राज्य प्राधिकरणों द्वारा जन सुनवाई करने में हुए विलंब के कारण है जो वैधानिक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने का एक भाग है।

(घ) जी, नहीं। पूर्व में रिएक्टर को अनुरक्षण और ईंधनभरण गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए शटडाउन किया गया जो कि किसी भी नाभिकीय विद्युत संयंत्र की एक नियमित विशेषता है। इन शटडाउनों से कोई खतरा संबद्ध नहीं है।

(ङ) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र में भुक्तशेष ईंधन के संरक्षित भंडारण की योजना द्वि-स्तरीय है। भुक्तशेष ईंधन के भंडारण का पहला स्थान रिएक्टर भवन के भीतर स्थित होता है, जिसे सामान्यतः भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल के रूप में जाना जाता है। दूसरी भंडारण सुविधा रिएक्टर से दूर स्थित है जिसे संयंत्र परिसर के भीतर 'रिएक्टर से दूर' (एएफआर) भुक्तशेष ईंधन भंडारण सुविधा कहा जाता है। जब भुक्तशेष ईंधन, रिएक्टर भवन में स्थित भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल की क्षमता से अधिक हो जाता है तो भुक्तशेष ईंधन को एएफआर सुविधा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वर्तमान में, केकेएनपीपी - 1 व 2 में जब तक भुक्तशेष ईंधन को स्थानांतरित करने के लिए स्थल पर एएफआर सुविधा तैयार नहीं हो जाती है तब तक भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल में भुक्तशेष ईंधन के भंडारण की पर्याप्त क्षमता है। परियोजना के विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (रिएक्टर भवन के भीतर भुक्तशेष ईंधन भंडारण सहित) से किसी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव का संकेत नहीं मिलता।

* * * * *